[श्री राधेलाल व्यास]

चाहिए। दो चार हजार का फ़र्क हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी कांस्टीट्यूएन्सी में आठ लाख है, किसी में नौ लाख है और किसी में सवा नौ लाख है। अगर कहीं इतना फ़र्क हो, तो वह हमारी समझ में नहीं आता है। एसेम्बली कांस्टीट्यूएन्सी जहां एक लाख की रखी गई है, वहां 32 और 35 हजार का फ़र्क है। क्या कांस्टीट्यूशन के प्राविजन का यह मतलब है?

डीलिमिटेशन कमीशन ने कहा था कि जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का हाइएस्ट परसेंटेज होगा, वहां पर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की सीटई रिजर्व की जायेंगी। पहले झबुआ रिजर्व्ड पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूएन्सी में आठ एसैम्बली सीट्स रिजर्व्ड थीं। अब उसमें दो जैनरल सीट्स मिला दी गई हैं, रतलाम और जावरा, जिसका परिणाम यह हुआ है कि जहां परसेंटेज पहले 80 था, वहां वह 56 या 60 रह गया है। क्या यह कायदे के खिलाफ नहीं है?

मैं इस प्रकार के एक नहीं, अनेक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और मैं हाउस का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। डीलिमिटेशन कमीशन ने संविधान की एक एक धारा के विरुद्ध, एक्ट के एक एक डायरेक्शन के विरुद्ध अमल किया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उसको किसी कोर्ट में क्वेस्चन नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट को इस पर विचार करना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए।

जो सेन्सस के बाद हर दफ़ा रिविजन का तरीका है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। यू० के० में अगर सेन्सस बढ़ जाये, तो भी अगर एक कांस्टीट्यूएन्सी का एक दफ़ा डीलिमिटेशन हो गया है, तो उसका एरिया उतना ही रहता है। एरिया बहुत कम बदलता है, जबकि पार्लियामेंट किसी दूसरे कारण से उसको बदलना चाहे। जो कांस्एन्टीट्यूएंसी डीलिमिट कर दी गई है, पापुलेशन के बढ़ने पर उसे ही कांस्टीट्यूएन्सी माना जाना चाहिए। अगर मद्रास ने फैमिलि प्लानिंग को अच्छी तरह से एनफोर्स किया है और वहां पर पापुलेशन कम हो गई है, तो डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा उसकी सीट्स को कम कर दिया गया है। अगर मेरी स्टेट या किसी दूसरी स्टेट की आबादी बढ़ गई है, तो उसको ज्यादा सीट्स दे दी गई हैं। यह न्यायसंगत नहीं है। अगर किसी स्टेट की पापुलेशन कम हो गई है, तो उसकी सीट्स की संख्या क्यों कम होनी चाहिए? यह तो एक तरह से फैमिली प्लानिंग के उसूल के खिलाफ़ जाता है। और इसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं होती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आगे जाकर के इस पर गवर्नमेंट को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पापुलेशन कम ज्यादा होने की वजह से किसी स्टेट को जितनी सीट्स एलांकेट की गई हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके अन्दर की जो कांस्टीट्यूएंसीज हैं उनमें भले ही फर्क हो जाय लेकिन सारे स्टेट की सीट्स में फर्क नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

15.30 hrs.

STATEMENT RE. EXPORT DUTY ON TEA

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): As the hon. Members are aware, an export duty at the rate of Rs. 2:00 per kilogram was imposed on tea on the eve of devaluation. The purpose of the levy was partially to mop up consequential profits and to help protect the unit value of this important export item. It was hoped that the balance amount

of extra rupee realisations would leave a sufficient margin as a measure of incentive, both for exports of tea and for the development of the industry as a whole.

A number of representations have been received urging Government that the specific rate of duty of Rs. 2.00 per kilogram weighs heavily on the exports of low and medium price teas. After a careful examination of the position in all its aspects, it has been found that while lower-priced teas stand in need of some relief, higher price teas can bear a higher incidence of duty.

Although the imposition of an *ad valorem* duty would be the ideal course to adopt, such a course would, as I have already stated earlier on the floor of this House, be baset with administrative and other difficulties. It has, therefore, been decided to combine the advantages of both an *ad valorem* and a specific rate of duty on tea. In this connection, I place on the table of the House a statement giving the details of the revised rates of duty which will take effect from tomorrow.

It will be observed that the duty has been fixed on a value-slab basis according to which teas of the value of upto Rs. 4.00 per kilogram will bear a specific duty of 80 paise per kilogram as against the present rate of Rs. 2.00 per kilogram. That is a substantial reduction. The duty will, however, progressively rise to the maximum rate of Rs. 3.00 per kilogram depending on the value of the tea exported. The amount of duty payable above the existing rate of Rs. 2.00 per kilogram but upto the maximum of Rs. 3.00 per kilogram will include only such teas as are valued at above Rs. 9.00 per kilogram.

It is hoped that the slab system will help in improving both the value and volume of tea exports.

STATEMENT

1. Tea, value of which does not exceed Rs. 4.00 per kg.	80 paise per kilogram
2. Tea, value of which exceeds Rs. 4·00 per kilogram but does not exceed Rs. 8.00 per kg.	80 paise per kilogram plus 10 paise per kilogram for every increase of 50 paise or part thereof in value in excess of Rs. 4·00 per kg.
3. Tea, value of which exceeds Rs. 8.00 per kilogram but does not exceed Rs. 12.00 per kg.	Rs. 1·60 per kilogram plus 15 paise per kilogram for every increase of 50 paise or part thereof per kilogram in value in excess of Rs. 8·00 per kg.
4. Where value exceeds Rs. 12·00 per kilogram.	Rs. 3·00 per kilogram.

15.32 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

NINETY-SEVENTH REPORT

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): I move:

"That this House agrees with the Ninety-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th November, 1966.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Ninety-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 8th November, 1966."

The motion was adopted.